FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप जिला–फलोदी

धापू वगैरा. **बनाम** **उषा वगैरा**

किस्म मुकदमा 152 सी.पी.सी. **मु.नं.** 74 **सन** 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/4/2026	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम कानासर के खसरा नंबर 1051/3 व 1051/6 में पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरान् में पत्थगरढी हेतु इस्तदुआ चाही थी लेकिन आदेश टंकण करते समय ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1051/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 1051/1 भूल से टंकण कर दिया गया। इसलिए उक्त निर्णय/आदेश में ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1051/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 1051/3 की पत्थरगढी हेतु संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त निर्णय/आदेश में सेवन से ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1051/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 1051/1 टंकित कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 139/2024 अनवान धापू वगैरा बनाम उषा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1051/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 1051/3 पढा व समझा जावे। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। मूल प्रकरण के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 27/4/2026 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया। Satya.. (सत्य नारायण– I. R.A.S.) सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)	